







## 🐧 और अधिक जानकारी

www.myagedcare.gov.au पर My Aged Care की वेबसाइट पर जाएँ

या

आप 1800 200 422\* नंबर पर My Aged Care को कॉल कर सकते/सकती हैं

My Aged Care संपर्क केंद्र निम्नलिखित दिनों और समयाविधयों में कार्यरत रहता है:

- सोमवार से शुक्रवार सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक
- शनिवार सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक (एईएसटी)।

संपर्क केंद्र रविवार और सार्वजनिक अवकाशों के दिन बंद रहता है।

यदि आपको सुनाई न देता हो या आपको सुनने या बोलने में परेशानी होती हो, तो हम राष्ट्रीय रिले सेवा के माध्यम से मदद कर सकते हैं। 1800 555 677\* पर कॉल करें और 1800 200 422**\*** के लिए पूछें।

यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत हो, तो हम अनुवाद और दुभाषिया सेवा के माध्यम से मदद कर सकते हैं। 131 450 पर कॉल करें और 1800 200 422\* के लिए पूछें।

\* लैंडलाइन से 1800 नंबरों पर की गई कॉलें सामान्यतः नि:शुल्क होती हैं। मोबाइल फोन से की गई सभी कॉलें प्रत्येक टेलीफोन सेवा प्रदाता के लिए लागू दरों पर चार्ज की जाती हैं।

इस प्रकाशन में दी गई सभी जानकारी नवंबर 2016 तक सही है



गृह देखभाल पैकेज प्राप्त करने के लिए आपका मार्ग

गृह देखभाल पैकेज प्राप्त करें गृह देखभाल समझौते में प्रवेश करें अपनी सेवाओं का प्रबंधन करें



आपको एक अनुमोदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि क्या आप पात्र हैं और क्या आपको गृह देखभाल पैकेज प्राप्त करने और किस स्तर के लिए स्वीकृति दी गई है।

आपको गृह देखभाल सेवाओं की एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कतार में प्रविष्ट किया जाएगा और जब आपके लिए एक उपयुक्त पैकेज उपलब्ध हो जाएगा, तो आपसे संपर्क किया जाएगा।

कतार में आपकी स्थिति का निर्धारण आपकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ देखभाल के लिए आपके प्रतीक्षा समय के आधार पर किया जाएगा। कतार में प्रतीक्षा करते हुए आपको अनुमोदित गृह देखभाल प्रदाताओं के बारे में खोज करना शुरू करना होगा, जिससे कि आप निम्नलिखित समझ सकें:

- वे किस प्रकार से आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छी सेवा उपलब्ध करा सकते हैं
- उनकी फीस और शुल्क और इनका क्या मतलब है
- ऐसी कोई भी अतिरिक्त सेवाएँ जिन्हें वे प्रस्तुत कर सकते हैं और जो उन्हें अन्य प्रदाताओं से अलग करती हैं।

यदि आपको प्रदाताओं के बारे में पता लगाने में मदद की आवश्यकता हो, तो आप <u>www.myagedcare.</u> gov.au वेबसाइट पर My Aged Care के सेवा खोजकर्ता का उपयोग कर सकते/सकती हैं या 1800 200 422 नंबर पर My Aged Care से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

आपसे अपने पैकेज की लागत में योगदान देने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए यह एक अच्छा विचार होता है कि आप गृह देखभाल फीस के बारे में पता लगाना शुरू करें। आप फीस का अनुमान करने के लिए My Aged Care पर उपलब्ध गृह देखभाल शुल्क आकलनकर्ता का उपयोग कर सकते/सकती हैं।

आप औपचारिक आय आकलन के लिए 1800 227 475 नंबर पर Department of Human Services को कॉल कर सकते/सकती हैं। आपके आय आकलन में आपका घर शामिल नहीं होता है, केवल आपकी आमदनी की गणना की जाती है।

Department of Human Services आपको आपके आय परीक्षित शुल्क के बारे में सूचित करेगा और फिर आप अगले चरण में अपने चुने हुए प्रदाता के साथ अपने गृह देखभाल समझौते पर चर्चा करते समय इस जानकारी का उपयोग कर सकते/सकती हैं।



आपको एक पत्र प्राप्त होगा

जब आप कतार के बिल्कुल आगे पहुँच जाते/जाती हैं, तो आपको अपने गृह देखभाल पैकेज के विवरण के साथ एक पत्र प्राप्त होगा। इसमें आपका अनोखा रेफरल कोड शामिल होगा जिससे कि आप अपना पैकेज प्राप्त कर सकें।

आपके पास अपने नए गृह देखभाल पैकेज को प्राप्त करने और अपने चुने हुए प्रदाता के साथ एक गृह देखभाल समझौते में प्रवेश करने के लिए 56 दिनों का समय होगा।

यदि आपको किसी भी कारण से और अधिक समय की आवश्यकता हो, तो आपको My Aged Care से संपर्क करना चाहिए। जब आपने एक ऐसे प्रदाता का चयन कर लिया हो जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छी सेवाएँ दे सकता है, तो वह आपके बजट के आधार पर आपकी देखभाल योजना और पैकेज को विकसित करने के लिए साझेदारी में आपके साथ काम करेगा।

आपके प्रदाता को आपके आय-परीक्षित शुल्क के अलावा अन्य किसी भी फीस और शुल्क का खुलासा करना चाहिए (यदि लागू हो, तो)। उदाहरण के लिए, वे आपसे एक बुनियादी दैनिक शुल्क और/या प्रशासन या मामला प्रबंधन शुल्क वसूल कर सकते हैं।

परिवार के किसी सदस्य, देखभालकर्ता, दोस्त या वकील के साथ अपने गृह देखभाल समझौते की समीक्षा करें। अगर आप चाहें, तो आप स्वतंत्र कानूनी सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं।

आप अपने प्रदाता के साथ परामर्श में किसी भी समय अपनी देखभाल योजना को बदल सकते/सकती हैं। जब आप अपनी देखभाल योजना और पैकेज से खुश हों, तो सेवाएँ प्राप्त करना शुरू करने के लिए अपने गृह देखभाल समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यदि आपकी देखभाल आवश्यकताओं में कोई बदलाव आया हो और आपको भिन्न देखभाल और सेवाओं की आवश्यकता हो, तो आप अपने प्रदाता के साथ अपनी देखभाल योजना और पैकेज की समीक्षा करने के लिए व्यवस्था कर सकते/सकती हैं।

यदि भविष्य में आपको किसी भी कारणवश प्रदाता को बदलने की आवश्यकता हो, चाहे इसलिए कि आप किसी दूसरे स्थान पर जा रहे/रही हैं या आप एक बेहतर ताल-मेल चाहते/चाहती हैं, तो आप ऐसा कर सकते/सकती हैं।

अपने सेवा प्रदाता को बदलने का निर्णय लेने से पहले अपने गृह देखभाल समझौते की समीक्षा कर लें, जिससे कि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपको किसी भी फीस और अपने प्रदाता को छोड़ने की शर्तों के बारे में पता हो।

आपके प्रदाता का यह कर्तव्य है कि यदि आप किसी दूसरे प्रदाता के लिए स्थानांतरण करने का चयन करते/करती हैं, तो वह आपका समर्थन करे। इसमें आपके नए गृह देखभाल प्रदाता के पास खर्च न की गई सभी धनराशि का हस्ताँतरण करना भी शामिल होता है।